रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 15 नवम्बर 2025 ई० (कार्तिक 24, 1947 शक संवत्) [संख्या 46

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	575–590	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1245–1272	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1743-1793	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

निबन्धन विभाग

नियुक्ति

20 मार्च, 2023 ई0

सं0 1170/278/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री भूपेंद्र वर्मा पुत्र श्री हरि पाल वर्मा निवासी-ग्राम छतिरवा, पोस्ट-पोरा, जनपद-अयोध्या, पिन कोड-224201 को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/— से रु0 1,77,500/— में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं—

2— कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3— श्री भूपेंद्र वर्मा उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री भूपेंद्र वर्मा को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4— उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम-3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5— नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेगी—

1— आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2— केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3— इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4— अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5— एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6— समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री भूपेंद्र वर्मा को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अयोध्या के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री भूपेंद्र वर्मा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री भूपेंद्र वर्मा उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1171/282/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री संदीप कुमार चौहान पुत्र श्री रामस्वरूप चौहान, निवासी गंधुपुर, मंडनपुर, जनपद आजमगढ़ को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– श्री संदीप कुमार चौहान उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री संदीप कुमार चौहान को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली-1975 के नियम-3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जायेगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री संदीप कुमार चौहान को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, आजमगढ़ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री संदीप कुमार चौहान दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री संदीप कुमार चौहान उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1172/256/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र-संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री श्याम शंकर पुत्र श्री मुरलीधर, निवासी-ग्राम हथिसारा, पोस्ट-जगेशरगंज तह0 पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान

रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– श्री श्याम शंकर उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री श्याम शंकर को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली-1975 के नियम-3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री श्याम शंकर को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रयागराज के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री श्याम शंकर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री श्याम शंकर उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1173/279/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र-संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री विशाल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता, निवासी-5-डी0 अलकापुरी कुर्सी रोड, निकट गायत्री मन्दिर, लखनऊ को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– श्री विशाल कुमार गुप्ता उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री विशाल कुमार गुप्ता को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा-नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली-1975 के नियम-3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री विशाल कुमार गुप्ता को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री विशाल कुमार गुप्ता दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री विशाल कुमार गुप्ता उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1174/264/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र-संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री उमेश कुमार राठौर पुत्र श्री राम फकीर निवासी-ग्राम जगदीशपुर पोस्ट पूरे माधव सिंह जनपद प्रतापगढ़ को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– श्री उमेश कुमार राठौर उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा

नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री उमेश कुमार राठौर को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली-1975 के नियम-3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जायेगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री उमेश कुमार राठौर को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रयागराज के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री उमेश कुमार राठौर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री उमेश कुमार राठौर उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1175/260/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022

दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री सैयद नदीम रजा पुत्र श्री सैयद आबिद रजा रजा निवासी-392/108, मैदान-एल0एच0खान, कश्मीरी मोहल्ला जनपद लखनऊ को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– श्री सैयद नदीम रजा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री सैयद नदीम रजा, को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम-3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री सैयद नदीम रजा, को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सैयद नदीम रजा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री सैयद नदीम रजा, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1176/270/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री पीतम सिंह, पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी-कम्मापुर, अंगदपुर, जनपद एटा पिन कोड-207121 को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– श्री पीतम सिंह उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते/रहती हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री पीतम सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री पीतम सिंह को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अलीगढ़ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री पीतम सिंह दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री पीतम सिंह उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1177/285/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-35/आयोग/47-का-4-2023 दिनांक 25 फरवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए सुश्री शैली चौधरी पुत्री श्री जसवीर चौधरी, निवासी-म0नं0-170 राजपुर खामपुर थाना-बड़ौत जनपद बागपत को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने

स्वसत्यापन या घोषण-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– सुश्री शैली चौधरी उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहती हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। सुश्री शैली चौधरी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– सुश्री शैली चौधरी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि सुश्री शैली चौधरी दिनांक 01 अप्रैल, 2023 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करती हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– सुश्री शैली चौधरी उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1178/283/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए सुश्री सुषमा यादव पुत्री स्व0 बुधई राम यादव, निवासी-सुमेरी का पूरा पोस्ट-मलाक हरिहर, तहसील-सोरांव जनपद प्रयागराज को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– सुश्री सुषमा यादव उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगी तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहती हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। सुश्री सुषमा यादव को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– सुश्री सुषमा यादव को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि सुश्री सुषमा यादव दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करती हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगी।

11– सुश्री सुषमा यादव उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 1179/275/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र-संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री बोबिल कुमार पुत्र श्री राममेहर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट हेवा मीरपुर, ब्लॉक छपरौली तह0 बड़ौत, जिला बागपत को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधित नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

3– श्री बोबिल कुमार उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री बोबिल कुमार

को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– श्री बोबिल कुमार को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री बोबिल कुमार दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– प्रशिक्षण के सम्बध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

10– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11– श्री बोबिल कुमार उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

आज्ञा से,
कंचन वर्मा,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-1

04 मार्च, 2021 ई0

अधिसूचना

संख्या 80/2021–48 सा0/23–1–2021–लखनऊ-जनपद-प्रयागराज के सिकन्दरा बहरिया दादूपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 19.60 कि0मी0) का नाम "शहीद जितेन्द्र कुमार मौर्य" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या–587/02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ/20, दिनांक 05.01.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-प्रयागराज के सिकन्दरा बहरिया दादूपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 19.60 कि०मी०) का नामकरण "शहीद जितेन्द्र कुमार मौर्य मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–33 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 24, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप–19

(नियम–27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 2182/आठ–वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) वाराणसी–नागरिक उड्डयन विभाग उ0प्र0के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद वाराणसी में लालबहादुर षास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु जिला वाराणसी, तहसील पिण्डरा, परगना कोलअसला, ग्राम पुरारघुनाथपुर, करमी, घमहापुर करमी, बसनी, सगुनहां, बैकुण्ठपुर व मंगारी में स्थित–13.6836059 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–1739/आठ–वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) वाराणसी दिनांक–14.08.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप में दिनांक–03.09.2025 को प्रकाशित की गयी थी। उपजिलाधिकारी, पिण्डरा,वाराणसी को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा–(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' मे वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला वाराणसी, तहसील पिण्डरा, परगना कोलअसला, ग्राम पुरारघुनाथपुर, करमी, घमहापुर करमी, बसनी, सगुनहां, बैकुण्ठपुर व मंगारी की उक्त अनुसूची में वर्णित रकबा–13.6836059 हे0 भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा–(3) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर वाराणसी को निर्देशित करते हैं।

अनुसूची–क

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	1443	0.027000
2					1444मि0	0.010712
3					1471	0.001000
4					1466 / 1785	0.012000
5					1498	0.024000
6					1499	0.040000
7					1505	0.042000
8					1506क	0.069333
9					1506ख	
10					1506घ	
11					1506ड़	
12					1506ज	
13					1506झ	
14					1713घ	0.001000
15					1647	0.000666
16					1562ख	0.001512
17					1549ख	0.001000
18					1508क	0.020000
19					1508ख	0.086000
20					649	0.205000

1	2	3	4	5	6	7
21	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	694	0.013000
22					697ख	0.014000
23					698	0.004083
24					699	0.028332
25					701	0.000500
26					702ड़	0.005812
27					803ख	0.008000
28					702ग	0.058000
29					715ग	0.049000
30					766	0.028000
31					711, 711/1751, 711/1752,	0.021833
32					715घ	0.003000
33					715ड़	0.010000
34					716	0.033000
35					717क	0.031000
36					718क	0.025333
37					775	0.005966
38					717ख	0.001330
39					718ख	0.007166
40					764/1777ड़	0.012000
41					764/1778	0.069000
42					740क	0.007000
43					740ख	0.018000
44					745	0.006000
45					746	0.004000
46					770ख	0.018000
47					741	0.578600
48					748	0.207900
49					749	0.077100
50					752	0.021150

1	2	3	4	5	6	7
51	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	758	0.277100
52					760	0.008000
53					743	0.021002
54					764ग	0.050998
55					771	0.114667
56					773	0.020000
57					776क	0.004000
58					1815	0.096000
59					795	0.007000
60					797	0.001000
61					810क	0.006625
62					816	0.066594
63					852	0.001400
64					853	0.022400
65					856क	0.003000
66					856ख	0.001000
67					913	0.043000
68					915	0.215000
69					636	0.030333
70					290	0.000500
71					291	0.064166
72					293क	0.003113
73					293ग	0.006000
74					293घ	0.008000
75					293ड़	0.005000
76					304	0.180250
77					305	0.034330
78					309	0.036000
79					313	0.014250
80					317	0.043500

1	2	3	4	5	6	7
81	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	319	0.009000
82					325	0.010200
83					326	0.012250
84					331	0.004000
85					332	0.016000
86					333	0.020000
87					394	0.472867
88					395	0.004000
89					396	0.011250
90					406	0.032250
91					417	0.202000
92					411	0.004000
93					439	0.102000
94					446	0.050000
95					447	0.029000
96					448	0.033100
97					455	0.036000
98					457	0.018660
99					459	0.016000
100					470	0.004000
101					467घ	0.010000
102					467ड़	0.005786
103					467ख	0.004000
104					467छ	0.012000
105					472	0.108000
106					677	0.409000
107					682	0.017334
108					822	0.006000
109					823	0.026500
110					829	0.014250

1	2	3	4	5	6	7
111	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	839	0.001000
112					840	0.010667
113					841क	0.000666
114					841ख	0.002000
115					841ग	0.002721
116					311 / 1742	0.016000
117					858 / 1779	0.012000
118					494	0.028000
119					718क	0.020600
120					718ख	0.006000
121					759	0.217500
122					293छ	0.004000
123					467छ	0.012000
124					917 / 1775	0.008000
125					766	0.001000
126					821	0.249000
127					328ख	0.036000
128					723	0.001000
129					1497	0.022000
130					1445	0.011000
131					1650क	0.006000
132					1646	0.020000
					योग	**5.678157**

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	करमी	222मि0	0.00300000
2					222 / 1	0.01800000
3					356	0.00350000
4					65	0.10000000

1	2	3	4	5	6	7
5	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	करमी	65 / 4	0.03377600
6					69	0.15864000
7					70मि0	0.04500000
8					71मि0	0.03550000
9					299	0.36300000
10					300 / 1मि0	0.01800000
11					303मि0	0.03000000
12					304मि0	0.05750000
13					308मि0	0.02500000
14					309मि0	0.03600000
15					313	0.00500000
16					314 / 1	0.01100000
17					316 / 1	0.00260100
18					528 / 1	0.02800000
19					529 / 1	0.01800000
20					530 / 1	0.01033400
21					532 / 1मि0	0.01000000
22					532 / 1मि0	0.03100000
23					532 / 2	0.00500000
24					533मि0	0.03483400
25					564मि0	0.02400000
26					564 / 3	0.01400000
27					564 / 3	0.00400000
28					578	0.01250000
29					579 / 1	0.01250000
30					767मि0	0.08300000
31					768मि0	0.03600000
32					769	0.03000000
33					770	0.09325000
34					781 / 2	0.01500000
35					781 / 4	0.00525000

1	2	3	4	5	6	7
36	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	करमी	59 / 1	0.19502000
37					60	0.07533340
38					61 / 1	0.16200000
39					62 / 796	0.00700000
40					63	0.08100000
41					588	0.03500000
42					296 / 2	0.03100000
43					296 / 3	0.08400000
44					296 / 4	0.03700000
45					296 / 1	0.06500000
46					296 / 7	0.02200000
47					296 / 7 / 3	0.33600000
48					296 / 8	0.02600000
49					291 / 1	0.04900000
50					584	0.08200000
51					567	0.02880800
52					577	0.00500000
53					586	0.04400000
54					589	0.00025000
55					592	0.00167100
56					597	0.02500000
57					598	0.02000000
58					599	0.03000000
59					600	0.06418000
60					601	0.05600000
61					779	0.00933400
62					479	0.0900000
63					481 / 1	0.0200000
					योग–	**3.0937814**

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	घमहापुर करमी	8	0.00500000
2					12	0.00760000
3					20	0.06861000
4					21	0.11600000
5					22	0.03100000
6					25	0.07900000
7					35	0.00934000
8					57	0.29500000
9					61	0.00600000
10					87	0.40798000
11					98	0.05700000
12					129क	0.00556220
13					149	0.05349700
14					151	0.01404620
15					175	0.05570000
16					183	0.02000000
17					188	0.09785000
18					189	0.41100000
19					192	0.00318910
20					204	0.05000000
21					6	0.01600000
22					162	0.02700000
23					240	0.00200000
24					184 / 275	0.00900000
					योग–	**1.8473745**

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	बसनी	398	0.016875
2					429	0.009
3					435	0.002813
4					437	0.153002
5					440	0.1
6					441	0.066579
7					452	0.045
8					453	0.0002572
9					542	0.017
10					549	0.01
11					553	0.0108334
12					554	0.012802
13					555	0.0255
14					556	0.044
15					557	0.22
16					561	0.06334
17					565	0.009666
18					566	0.015885
19					581	0.3525
20					592	0.0112224
21					601	0.066
22					602	0.016
23					614ग	0.001113
24					614ख	0.000947
25					630	0.028
26					646	0.97
27					667	0.002

1	2	3	4	5	6	7
28	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	बसनी	689	0.012
29					826	0.022
30					834	0.08
31					840	0.04
					योग–	**2.424335**

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	सगुनहां	6मि0	0.016
					योग–	**0.016**

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	बैकुण्ठपुर	227	0.004
					योग–	**0.004**

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	मंगारी	69मि0	0.041108
2					65	0.093000
3					102मि0	0.162000
4					120मि0	0.067000
5					45मि0	0.023000
6					29	0.001000
7					44मि0	0.007850
8					47मि0	0.225000
					योग–	0.619958
					कुल योग–	13.6836059

अनुसूची–ख

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	NIL	NIL
				करमी	NIL	NIL
				घमहापुर करमी	NIL	NIL
				बसनी	NIL	NIL
				सगुनहां	NIL	NIL
				बैकुण्ठपुर	NIL	NIL
				मंगारी	NIL	NIL

प्रशासक के आख्या दिनांक–10.11.2025 के अनुसार परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद वाराणसी के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,

राज्य सरकार/जिला कलेक्टर,

वाराणसी।

NAGARIK UDDAYAN VIBHAG UTTAR PRADESH

FORM-19

(Sub-rule (1) of rule-27)

Declaration by the appropriate government/collector

(Under sub-section (1) of section 19 of the Act)

NOTIFICATION

November 10, 2025

NO. 2182/आठ–वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) वाराणसी–Appropriate compensation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of 13.6836059 hectaresof land located in District Varanasi, Tehsil Pindra, Pargana Kolasala, Village Puraraghunathpur, Karmi, Ghamahapur Karmi, Basani, Sagunaha, Baikunthpur and Magari,for public purpose required byNagarik Uddayan Vibhag Uttar Pradesh.such as Development for Expansion of the Lal bahadur Shastri International Airport In Varanasi. Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013, which was issued on the initial notification number-1739/dated-14.08.2025 and was finally published on the date-03.09.2025. SDMP indra,Varanasi is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report submitted by the Collector in compliance with the provisions of sub-section (2) of section-15 of the Act, under section-19(1), the Governor directs to declare that he is satisfied that Schedule "A" The area of land mentioned in is necessary for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 13.6836059 hectares of land mentioned in the above schedule of the mentioned district-Varanasi, Tehsil Pindra, Pargana Kolasala, Village Puraraghunathpur, Karmi, Ghamahapur Karmi, Basani, Sagunaha, Baikunthpur and Magari.

The Hon'ble Governor further directs that the entire Government directs the District Collector, Varanasi for publication of the declaration under sub-section (3) of section 19 of the Act.

SCHEDULE-A

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	1443	0.027000
2					1444मि0	0.010712
3					1471	0.001000
4					1466 / 1785	0.012000
5					1498	0.024000
6					1499	0.040000
7					1505	0.042000
8					1506क	0.069333
9					1506ख	
10					1506घ	
11					1506ड़	
12					1506ज	
13					1506झ	
14					1713घ	0.001000
15					1647	0.000666
16					1562ख	0.001512
17					1549ख	0.001000
18					1508क	0.020000
19					1508ख	0.086000
20					649	0.205000
21					694	0.013000

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
22	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	697ख	0.014000
23					698	0.004083
24					699	0.028332
25					701	0.000500
26					702ड़	0.005812
27					803ख	0.008000
28					702ग	0.058000
29					715ग	0.049000
30					766	0.028000
31					711, 711/1751, 711/1752,	0.021833
32					715घ	0.003000
33					715ड़	0.010000
34					716	0.033000
35					717क	0.031000
36					718क	0.025333
37					775	0.005966
38					717ख	0.001330
39					718ख	0.007166
40					764/1777ड़	0.012000
41					764/1778	0.069000
42					740क	0.007000
43					740ख	0.018000
44					745	0.006000
45					746	0.004000
46					770ख	0.018000
47					741	0.578600
48					748	0.207900

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
49	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	749	0.077100
50					752	0.021150
51					758	0.277100
52					760	0.008000
53					743	0.021002
54					764ग	0.050998
55					771	0.114667
56					773	0.020000
57					776क	0.004000
58					1815	0.096000
59					795	0.007000
60					797	0.001000
61					810क	0.006625
62					816	0.066594
63					852	0.001400
64					853	0.022400
65					856क	0.003000
66					856ख	0.001000
67					913	0.043000
68					915	0.215000
69					636	0.030333
70					290	0.000500
71					291	0.064166
72					293क	0.003113
73					293ग	0.006000
74					293घ	0.008000
75					293ड़	0.005000
76					304	0.180250
77					305	0.034330
78					309	0.036000

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
79	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	313	0.014250
80					317	0.043500
81					319	0.009000
82					325	0.010200
83					326	0.012250
84					331	0.004000
85					332	0.016000
86					333	0.020000
87					394	0.472867
88					395	0.004000
89					396	0.011250
90					406	0.032250
91					417	0.202000
92					411	0.004000
93					439	0.102000
94					446	0.050000
95					447	0.029000
96					448	0.033100
97					455	0.036000
98					457	0.018660
99					459	0.016000
100					470	0.004000
101					467घ	0.010000
102					467ड़	0.005786
103					467ख	0.004000
104					467छ	0.012000
105					472	0.108000

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
106	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	677	0.409000
107					682	0.017334
108					822	0.006000
109					823	0.026500
110					829	0.014250
111					839	0.001000
112					840	0.010667
113					841क	0.000666
114					841ख	0.002000
115					841ग	0.002721
116					311 / 1742	0.016000
117					858 / 1779	0.012000
118					494	0.028000
119					718क	0.020600
120					718ख	0.006000
121					759	0.217500
122					293छ	0.004000
123					467छ	0.012000
124					917 / 1775	0.008000
125					766	0.001000
126					821	0.249000
127					328ख	0.036000
128					723	0.001000
129					1497	0.022000
130					1445	0.011000
131					1650क	0.006000
132					1646	0.020000
					Total	**5.678157**

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Karmi	222मि0	0.00300000
2					222 / 1	0.01800000
3					356	0.00350000
4					65	0.10000000
5					65 / 4	0.03377600
6					69	0.15864000
7					70मि0	0.04500000
8					71मि0	0.03550000
9					299	0.36300000
10					300 / 1मि0	0.01800000
11					303मि0	0.03000000
12					304मि0	0.05750000
13					308मि0	0.02500000
14					309मि0	0.03600000
15					313	0.00500000
16					314 / 1	0.01100000
17					316 / 1	0.00260100
18					528 / 1	0.02800000
19					529 / 1	0.01800000
20					530 / 1	0.01033400
21					532 / 1मि0	0.01000000
22					532 / 1मि0	0.03100000
23					532 / 2	0.00500000
24					533मि0	0.03483400
25					564मि0	0.02400000
26					564 / 3	0.01400000

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
27	Varanasi	Pindra	Kolasala	Karmi	564 / 3	0.00400000
28					578	0.01250000
29					579 / 1	0.01250000
30					767मि0	0.08300000
31					768मि0	0.03600000
32					769	0.03000000
33					770	0.09325000
34					781 / 2	0.01500000
35					781 / 4	0.00525000
36					59 / 1	0.19502000
37					60	0.07533340
38					61 / 1	0.16200000
39					62 / 796	0.00700000
40					63	0.08100000
41					588	0.03500000
42					296 / 2	0.03100000
43					296 / 3	0.08400000
44					296 / 4	0.03700000
45					296 / 1	0.06500000
46					296 / 7	0.02200000
47					296 / 7 / 3	0.33600000
48					296 / 8	0.02600000
49					291 / 1	0.04900000
50					584	0.08200000
51					567	0.02880800
52					577	0.00500000
53					586	0.04400000

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
54	Varanasi	Pindra	Kolasala	Karmi	589	0.00025000
55					592	0.00167100
56					597	0.02500000
57					598	0.02000000
58					599	0.03000000
59					600	0.06418000
60					601	0.05600000
61					779	0.00933400
62					479	0.0900000
63					481 / 1	0.0200000
					Total . .	**3.0937814**

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Ghamahapur Karmi	8	0.00500000
2					12	0.00760000
3					20	0.06861000
4					21	0.11600000
5					22	0.03100000
6					25	0.07900000
7					35	0.00934000
8					57	0.29500000
9					61	0.00600000
10					87	0.40798000
11					98	0.05700000
12					129क	0.00556220
13					149	0.05349700

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
14	Varanasi	Pindra	Kolasala	Ghamahapur Karmi	151	0.01404620
15					175	0.05570000
16					183	0.02000000
17					188	0.09785000
18					189	0.41100000
19					192	0.00318910
20					204	0.05000000
21					6	0.01600000
22					162	0.02700000
23					240	0.00200000
24					184 / 275	0.00900000
					Total	**1.8473745**

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Basani	398	0.016875
2					429	0.009
3					435	0.002813
4					437	0.153002
5					440	0.1
6					441	0.066579
7					452	0.045
8					453	0.0002572
9					542	0.017
10					549	0.01
11					553	0.0108334
12					554	0.012802
13					555	0.0255
14					556	0.044

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
15	Varanasi	Pindra	Kolasala	Basani	557	0.22
16					561	0.06334
17					565	0.009666
18					566	0.015885
19					581	0.3525
20					592	0.0112224
21					601	0.066
22					602	0.016
23					614ग	0.001113
24					614ख	0.000947
25					630	0.028
26					646	0.97
27					667	0.002
28					689	0.012
29					826	0.022
30					834	0.08
31					840	0.04
					Total	**2.424335**

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Sagunha	6मि0	0.016

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Baikunthpur	227	0.004

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Magari	69मि0	0.041108
2					65	0.093000
3					102 मि0	0.162000
4					120 मि0	0.067000
5					45 मि0	0.023000
6					29	0.001000
7					44 मि0	0.007850
8					47 मि0	0.225000
					Total	**0.619958**
					Grand Total	**13.6836059**

SCHEDULE-B

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	Nil	Nil
				Karmi	Nil	Nil
				Ghamahapur Karmi	Nil	Nil
				Basani	Nil	Nil
				Sagunha	Nil	Nil
				Baikunthpur	Nil	Nil
				Magari	Nil	Nil

According to the Administrator report date-10-11-2025, no family is being displaced as a result of land acquisition for the project.

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Varanasi.

(Sd.) ILLEGIBLE,
State Government/District,
Collector Varanasi.

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

22 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 650/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झॉसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा समथर, तहसील व जिला झाँसी में स्थित भूमि को गौशाला निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद समथर जिला झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर				
1	झाँसी	मोंठ	समथर	666	0.651	श्रेणी-6(3) मरघट के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	731 समथर	0.882 में से 0.651	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6(3) मरघट
				827	0.166	श्रेणी-6(4) खाद के गढडे के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	731 समथर	0.882 में से 0.166	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6(4) खाद के गढडे
				826	0.162	श्रेणी-6(3) खाल उतारने का स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ बंजर एवं श्रेणी-5-1 नवीन परती	899 समथर	0.352 में से 0.152	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(4) खाल उतारने का स्थान
							731 समथर	0.882 में से 0.065	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6(3) खाल उतारने का स्थान

27 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 654 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / पुर्नग्रहण / 2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687 / एक-1-2020-20 (5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578 / एक-1-1099 / 46 / 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303 / 5-264ए / 2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-खैरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खैरा	12/3	0.336	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					120/2	0.101		
					6/1	0.445		
					398	0.174		
					296/4	0.032		
					333	0.305		
					229	0.194		
					164	0.105		
					134	0.170		
					13	0.036		
					15	0.109		
					4/6	0.016		
					292	0.101		
					234/2	0.239		
					106/2	0.101		
					7	0.218		
					115	0.036		
					योग. .	**2.718**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम खैरा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 655/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा मुरारी तहसील व जिला झाँसी में स्थित भूमि को झाँसी विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	मुरारी	79	0.425	श्रेणी-6(1) नाला/नाली के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	830 मथुरापुरा	0.971	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(1) नाला/नाली
				117	0.024				
				212	0.020		1235	0.425	
				230	0.356				
				284/2	0.061				
				915/2	0.105				
				320	0.210				
				योग. .	**1.201**		**योग. .**	**1.396**	

22 जनवरी, 2025 ई0

सं0 790/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद,

उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-पुनावली कलां तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	पुनावली कला	1320	0.061	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					2156	0.045		
					2161	0.040		
					2392	0.012		
					2393	0.121		
					2438	0.146		
					2440	0.162		
					2457	0.190		
					2492	0.271		
					2498मि0	0.105		
					2500	0.045		
					2502मि0	0.113		
					2503	0.097		
					2504	0.340		
					2506	0.012		
					2523	0.036		
					2534मि0	0.093		
					2535	0.020		
					2536	0.100		
					2537	0.121		
					2538	0.121		
					2539	0.291		
					2541	0.024		
					2542	0.267		
					2544मि0	0.237		
					2603	0.368		
					2617	0.049		
					2757	0.304		
					योग. .	**3.791**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम पुनावली कलां, तहसील व जिला झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

अविनाश कुमार,
जिलाधिकारी, झाँसी।

पी0एस0यू0पी0—33 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 24, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,

19, महर्षि दयानन्द मार्ग,

इलाहाबाद।

निर्वाचन–2025-26

10 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 01/2025–एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 की धारा-15 (2) (ए) के अधीन निर्मित निर्वाचन नियमावली, 2025 के अर्न्तगत निर्मित नियम-6 के अनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश, बार कौंसिल के 25 (पच्चीस) सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जिनमें से एडवोकेट्स एक्ट की धारा-(3)–2 (बी) के अनुसार 12 (बारह) सदस्यों का दिनांक 23.10.2025 को कम से कम 10 वर्षीय अनुभव का एडवोकेट होना आवश्यक है. क्रमशः नामांकन-पत्रों की प्राप्ति, उनकी जांच, वापसी, मतदान एवं मतगणना की निम्नलिखित तिथिया तथा स्थान निर्धारित किये जाते हैं–

1. नामांकन-पत्रों की प्राप्ति की तिथियां :	दिनांकः 14 नवम्बर, 2025 से 19 नवम्बर, 2025 (प्रारम्भ) एवं अन्त की दोनों तिथियां शामिल करके सचिव, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद के पास सायं 05:00 बजे तक पहुंच जाये।
2. जांच की तिथियां एवं समय :	दिनांक 20 नवम्बर, 2025 से 21 नवम्बर, 2025 को दिन के 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यालय, 19. महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद में।
3. वापसी की अन्तिम तिथि एवं समय :	वापसी की अन्तिम तिथि दिनांक 27 नवम्बर, 2025 सायं 05:00 बजे तक।
4. प्रत्याशियों की अन्तिम सूची :	प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को सायं 05:00 बजे तक।
5. (अ) मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथियां :	दिनांक 16 एवं 17 जनवरी, 2026 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगेः—
	आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी-बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौली, चित्रकूट।
(ब) मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथियां :	दिनांक 20 एवं 21 जनवरी, 2026 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगेः—
	देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी।
(स) मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथिया :	दिनाक 27 एवं 28 जनवरी, 2026 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10.00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगेः—

कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर।

(द) मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथिया : दिनांक 30 एवं 31 जनवरी, 2026 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10.00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगे

पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, रमाबाई नगर, सहारनपुर, संम्भल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर सोनभद्र सुल्तानपुर उन्नाव, वाराणसी।

नोटः–

1. इलाहाबाद में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रांगण 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद में सम्पन्न होगा।
2. लखनऊ में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक हाईकोर्ट, खण्डपीठ लखनऊ के प्रांगण में सम्पन्न होगा।

6. मतपत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि : दिनांकः 03 फरवरी, 2026 तक सभी मतपेटियां सचिव, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद को प्राप्त हो जाये।

7. मतगणना का समय, स्थान एवं तिथियां : मतगणना की तिथि माननीय अ० प्रा० न्यायमूर्ति/निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। मतगणना प्रातः 10:00 बजे से सायं 500 बजे तक बार कौंसिल के कार्यालय, 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद में होगी, जब तक कि गणना की समाप्ति न हो जाये।

आवश्यक निर्देश एवं सूचना :

(क) नामांकन-पत्र बार कौंसिल की सदस्यता हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम मतदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर से निर्धारित परिपत्र पर प्रस्तावित किया जायेगा जो बार कौंसिल के सचिव को प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से

अथवा डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा ताकि नामांकन के अन्तिम तिथि को प्राप्त हो जाये। प्रत्येक प्रस्ताव पर प्रस्तावित उम्मीदवार की सहमति आवश्यक है। एक प्रस्तावक निर्धारित सदस्यों की संख्या से अधिक व्यक्तियों का प्रस्ताव नहीं कर सकता है।

(ख) पुन्नः सूचित किया जाता है कि नियमों के अर्न्तगत निर्धारित फार्म पर ही नामांकन मान्य होंगे, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कार्यालय से दस रूपये का भुगतान करके लिये जा सकते हैं।

(ग) प्रत्येक चुनाव प्रत्याशी को सचिव के पास रूपये 1,50,000/– (एक लाख, पचास हजार) का नकद/बैंक ड्राफ्ट ''बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नाम जमा करना होगा। यदि किसी प्रत्याशी के लिये एक से अधिक नामांकन-पत्र प्राप्त होते हैं तब भी केवल मु० रु0 1,50,000/– (एक लाख, पचास हजार) की जमा धनराशि पर्याप्त होगी। नामांकन-पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा तब प्रत्याशी मतदाता सूची की एक प्रति खरीद कर उसकी रसीद संलग्न करेगा।

(घ) एडवोकेट्स एक्ट की धारा-3 (2) (बी) से व्यवस्थित 10 वर्ष के अनुभव को गणना के लिये यह अवधि जिसमें कोई अधिवक्ता इण्डियन बार कैंसिल एक्ट, 1926 के अर्न्तगत किसी अन्य बार कौंसिल या बार कौसिलों के रोल पर अथवा किसी हाईकोर्ट या हाईकोर्ट के रोल पर रहा है, शामिल कर ली जायेगी।

(च) नामांकन-पत्र की वापसी।

यदि कोई व्यक्ति अपना नामांकन-पत्र वापस करना चाहता है तो नियम-6 के अर्न्तगत सचिव को लिखकर अन्तिम तिथि के अन्दर ऐसा कर सकता है। वापस करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर किसी जज या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

रामकिशोर शुक्ल,
सचिव/चुनाव अधिकारी,
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

PUBLIC-NOTICE

Applicant Adv. Shri M. S. CHAUDHARY

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL

CITY CIVIL & SESSIONS COURT, BHADRA, AHMEDABAD-380.001.

Fixed on: 13/11/2025 **Exh. 37**

M.A.C.P. No. 729 OF 2018

APPLICANT:- LAXMIBEN DAYARAM YADAV

Versus

OPPONENT -1	DINESH BANSAL SON MOTILAL BANSAL RESI. AT : VIKRAMPUR, TALUKA-DISTRICT-ITAWAH UTTAR PRADESH.
OPPONENT -2	SAURABH SINGH RAMU SINGH THAKUR RESI. AT. URAI, TALUKA GALVI, DISTRICT-JALON UTTAR PRADESH.

WHEREAS, the applicant has filed claim petition in this tribunal for compensation of Rs. 74,97,200- U/s. 166 of Rs. 50,000 U/s. 144 of M.V. Act on 26/10/2018 for accident caused by VEHICLE No. UP-75-M-9815 on Dt. 29/05/2018 at 06:00 A.M. AHMEDABAD, NAROL PIPLAJ NATIONAL TRANSPORT ON ROAD in jurisdiction of NAROL Police Station, and notice of this Tribunal against above opponent No.1 & 2 has been returned unserved.

This PUBLIC NOTICE is issued by the Tribunal for Opponent. Take Notice of this claim that it will be heard by the Tribunal on 13/11/2025 at 3.00 P.M.

If you will not appear and file your defense, the claim will be decided ex-party against you.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THE TRIBUNAL THIS 24TH DAY OF SEPTEMBER, 2025.

By Order
(P. Y. MODI),
Dy. Registrar,
City Civil & Sessions Court,
Bhadra, Ahmedabad.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, रामपुर

25 जून, 2025 ई0

सं0 686/HoD–निदेशक, नगर निकाय उत्तर प्रदेश गोमती नगर विस्तार लखनऊ के पत्र संख्या-423/01/नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन के लिए राज्य माडल उपविधि को बोर्ड की बैठक दिनांक 19 जनवरी, 2024 में बोर्ड प्रस्ताव संख्या-04 (विशेष) को सर्वसम्मत्ति से स्वीकृत किया गया। तद्उपरान्त आपत्ति प्राप्त करने हेतु दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एंव अमर आनन्द में दिनांक 02 मार्च, 2024 को प्रकाशित कराया गया। प्रकाशन की निर्धारित समय अवधि 15 दिवस के भीतर नगर पालिका परिषद, रामपुर को कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। अतः निम्नवत् नगर पालिका परिषद, रामपुर फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि-2024 की अधिसूचना गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए

राज्य मॉडल उपविधि

अधिसूचना

रामपुर दिनांक 01.01.2024

प्राधिकार– ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा हैः

(क)– उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019

(ख)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग)– सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013

(घ)– मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ)– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013

(च)– आईएस कोड 2470 भाग-I और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता

(छ)– केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज)– जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ)– उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एव सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद, रामपुर की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद, रामपुर भवनों पर लागू होगा।

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1– संक्षेप– शीर्षक, विस्तार और आरंभ–

(i)– इन उपविधियों को 'नगर पालिका परिषद, रामपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2024' कहा जा सकता है।

(ii)– ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद, रामपुर क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2– परिभाषा–

"एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो,

"अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है,

"फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है,

"को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो,

"विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं,

"नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो,

"डिस्लजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया,

"निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन,

"एफ्लूयंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव),

"फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री,

"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र,

"ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है,

"होस्ट यूएलबी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा,

"ईनसैनिटरी लेट्रिन्स" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है,

"लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है,

"लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो,

"अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान,

"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक /सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं,

"ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है,

"मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो,

"व्यक्ति" का तात्पर्य एक एसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं,

"सैनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो,

"सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है,

"शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया,

"सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज,

"सीवेज" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है,

"सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है,

"सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है,

"सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है,

"निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी,

"परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई,

"उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया,

"उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

"यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

"निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

"कर्मी" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3– परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण– निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

(i)– यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।

(ii)– अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(iii)– यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

(iv)– वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन X किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं तो उसमें XX वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4– मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन– निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे,

(i)– उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव–

(i)– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय-समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद, रामपुर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii)– ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iii)– परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

(iv)– परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(v)– परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद, रामपुर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi)– नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद, रामपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद, रामपुर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii)– नगर पालिका परिषद, रामपुर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6– निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

(i)– नगर पालिका परिषद, रामपुर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ii)– नगर पालिका परिषद, रामपुर अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iii)– जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

(iv)– नगर पालिका परिषद, रामपुर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

(v)– इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– लाइसेंस जारी करने की शर्तें–

(i)– लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2(xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

(ii)– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

(iii)– नगर पालिका परिषद, रामपुर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

(iv)– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद, रामपुर के साथ पंजीकृत करेगा।

(v)– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

(vi)– आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद, रामपुर या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(vii)– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8– लाइसेंस के लिए आवेदन– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10– लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क– नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– पंजीकरण के शुल्क और वैधता–

(i)– ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,000/–

(ii)– पंजीकरण की वैधता– पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 05 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii)– लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,000/–

11– लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन– नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेससुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12– जागरुकता अभियान– इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13– संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा।

(i)– भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद, रामपुर के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

(ii)– मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

(i)– समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii)– शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(iii)– लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद, रामपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

(iii) डी-स्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

(iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद, रामपुर वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार [नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी] और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– ढुलाई के दौरान सावधानी– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18– दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण–

(i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii) होस्ट यू0एल0बी0 ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यू0एल0बी0 क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21– निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार–

(i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यू0एल0बी0 बन जाएगा।

(ii) नगर पालिका परिषद, रामपुर होस्ट यू0एल0बी0 से जुड़े यू0एल0बी0 क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद, रामपुर वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

(iv) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा किया जाएगा।

(v) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यू0एल0बी0 या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi) एम0ओ0यू0 अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यू0एल0बी0'' को लगे कि क्लस्टर यू0एल0बी0/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यू0एल0बी0 कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य–

(i) निकाय या ग्राम पंचायत [जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस नगर पालिका परिषद, रामपुर] होस्ट यू0एल0बी0 के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यू0एल0बी0 के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घण्टों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii) यदि निकाय होस्ट यू0एल0बी0 के क्लस्टर यू0एल0बी0 की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv) नगर पालिका परिषद, रामपुर विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v) होस्ट यू0एल0बी0 संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi) यदि "होस्ट यू0एल0बी0'' की क्षमता क्लस्टर यू0एल0बी0 के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद, रामपुर को एक नए "होस्ट यू0एल0बी0" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23– कर्मियों का प्रशिक्षण– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सार्वाधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24– कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25– बीमा– लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26– लाइसेंस रदद् किया जाना– इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27– उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान–

(i) नगर पालिका परिषद, रामपुर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद, रामपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

(ii) उपचार सुविधा के अभाव में नगर पालिका परिषद, रामपुर आस पास के होस्ट यू0एल0बी0 जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट-7)

(iii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद, रामपुर के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यू0एल0बी0" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड-28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण– नगर पालिका परिषद, रामपुर जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/ निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति–

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यू0एल0बी0]

(ii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यू0एल0बी0" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यू0एल0बी0 का हिस्सा हैं]

30– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय– [निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यू0एल0बी0)] द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर [निकाय (या होस्ट यू0एल0बी0 लागू हो)] द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31– औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32– फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण– नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33– उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल– निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

34– प्रशासन और प्रवर्तन–

(i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii) नगर पालिका परिषद, रामपुर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर-फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए,उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(iii) नगर पालिका परिषद, रामपुर शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv) नगर पालिका परिषद, रामपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमरजेन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ई0आर0एस0यू0) नियुक्त करेगा।

35– जांच के लिए विशेष शक्ति– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद, रामपुर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36– नियम उल्लंघन और जुर्माना–

(i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

(ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओ0एस0एस0/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्तिथि में एफ0एस0एस0 निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

(v) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37– अपील– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म-5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38– विवाद समाधान उपविधि– इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद, रामपुर के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39– फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40– सन्दर्भ प्रलेख– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41– डी-स्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डी-स्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42– उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन– सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बी0आई0एस0 कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1,] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एम0ओ0एच0यू0ए0 के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओ0एस0एस0 पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाईलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन–

- आयताकार : लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात : 2 से 4
- गहराई : 1.0 से 2.5 मी0 के बीच
- दो कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार–

उपयोग कर्ता की सं0	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अन्तराल)
1	2	3	4
	मीटर–	मीटर–	मीटर–
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1 : सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बी0आई0एस0-2470 (भाग 1), 1985 देंखे।

नोट : फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत : सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल भाग-ए, इंजीनियरिंग। सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता– टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं है–

- अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन : डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भण्डारण : फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता 0.0002x365 = 0.073 $m3$/कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- फ्री-बोर्ड : कम से कम 0.3 मी0

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन

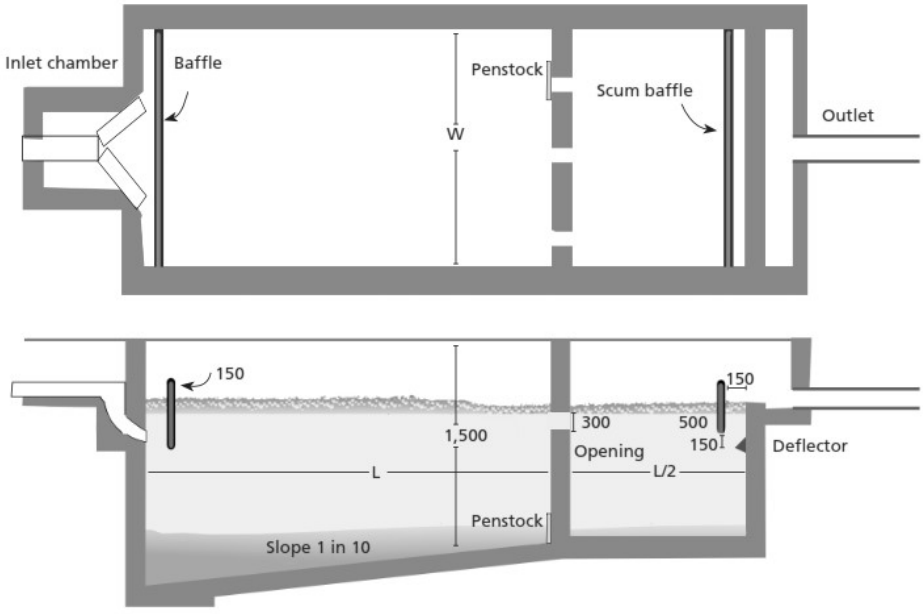

All measurements in millimetres (mm)
Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment—Part A: Engineering. CPHEEO, 2012

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद, रामपुर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर-फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र0 सं0	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3,000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये–
1.	कच्चा घर/झोंपड़ी	350–450
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750–850
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1,200–1,700
4.	दुकान	1,500–1,800
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1,800–2,200
6.	बैंक	2,000–2,500
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800–1,200
8.	रेस्टोरेंट	2,000–2,500
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2,000–2,500
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,500–2,800
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,000–3,200
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1,200–1,600
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1,800–2,200
14.	3-स्टार होटल	2,800–3,000
15.	5-स्टार होटल	3,500–4,000
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,000–1,200
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1,200–1,500
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,800–2,000
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2,500–3,000
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1,800–2,000
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,800–3,000
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,500–3,000
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3,500–4,000
24.	मल्टीप्लेक्स	2,000–2,500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1,800–2,200

1	2	3
		रुपये–
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,200–2,500
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2,500–2,800
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,000–3,200
29.	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	2,500–3,500
30.	बार	2,500–3,000
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1,800–2,500
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2,800–3,000
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1,800–2,000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,200–2,500
35.	पैथलॉजिकल लैब	1,500–2,000
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,500–2,800
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2,500–3,000
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3,500–4,000
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2,000–2,500
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,000–4,000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2,000–2,500

स्रोत– सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिये जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किये गये कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खंड-7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण–

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिये–

1– शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

2– शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

3– सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

4– सेफ्टी टॉर्च

5– भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

6– संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

7– टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है

8– दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।

9– आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट Q

10– गैस मॉनीटर

11– हेड लैंप

12– गाइड पाइप सेट

13– सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

14– वेडर बूट

15– एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

16– मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

17– रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खंड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पालिका परिषद रामपुर

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

फॉर्म 1– निकाय नगर पालिका परिषद, रामपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस आवेदन-पत्र

1– आवेदक का नाम (श्री/सुश्री): .....

2– पताः .....

3– पंजीकृत कार्यालय का पता .....

4– टेलीफोन नंबरः (कार्यालय) .....(मो0).....

ईमेल आईडीः.....

12

संख्या	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर–माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						

7– लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण–

नकद_____(रसीद संख्या)

8– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)

दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नही	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नही	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नही
1	2	3	4	5	6
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक–..... आवदेक के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 10:00 am से 05:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खंड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पालिका परिषद रामपुर

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

फॉर्म 2– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना नगर पालिका परिषद, रामपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है–

1– आवेदक का नामः (श्री/सुश्री):.....

2– पत्राचार का पताः.....

3– निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्याः.....

4– **मान्यता** .....से ..... तक

5– वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबरः (i) ..... (ii) ..... (iii) ..... (iv) ..... लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में xy दिनों पर x:00 am से y:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड नगर पालिका परिषद, रामपुर में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक.....समय.....

1– **ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण–**

नाम.....

पता.....

(क)– वार्ड सं0.....

(ख)– मोबाईल नम्बर.....

2– रोकथाम–

1 निर्माण का वर्ष.....

2 पिछला कीचड निकालना (MM/YYYY).....

3 आऊटलेट मौजूद (हां/नही).....

4 यदि हां तो किससे जुड़ा है.....

5 रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुने)

रोकथाम के प्रकार	सही करे	रोकथाम के प्रकार	सही करे
1	2	3	4
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्विन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गडढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (आनलाइन)	

6– रोकथाम का आकार और आकारःनियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करे

7– संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करे	घर में स्थान	सही करे
1	**2**	**3**	**4**
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

3– कीचड़ साफ करना–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर).....

2– कीचड़ निकालने में लगने वाला समय.....

3– ट्रिप की लम्बाई (किमी).....

4– आने-जाने में समय .....

4– कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण–

ऑपरेटर का नाम.....

डयूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर.....

डयूटी पर टेंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप–

फॉर्म 4– "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय **(नगर पालिका परिषद, रामपुर)** के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्मफीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय(संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद, रामपुर) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद, रामपुर)

द्वितीय पक्ष "एक्सवायजेड यूएलबी" (संपर्क करने वाले नगर पालिका परिषद, रामपुर)

उपबंध–

1– यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2– "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 xxx देने के लिए सहमत है।

4– यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6– कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम	द्वितीय पक्ष
अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर	अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–8

जुर्माना और फाइन

क्रम सं0	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाईन सीमा	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रुपये–	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100–150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50–100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर–अनुपालन	16,17	1,000–1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000–1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	,5000–10,000	

1	2	3	4	5
			रुपये–	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000–10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000–1,500 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500–2,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

नोट– जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय–समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खंड 37 देखें)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास

.....(पदनाम)

1– आवेदक का पूरा नाम.....

2– आवेदक का पूरा पता.....

3– नगर पालिका अधिकारी का विवरण, जिसके आदेश के विरूद्व अपील की गई–

नाम.....पद.....

4– उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरूद्व अपील की गई–

5– अपील दायर करने की तारीख.....

6– सूचना विवरण

(क)– संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु(जिस आदेश के विरूद्व अपील की गई है, उसकी प्रति संलग्न करे) .....

(ख)– अपील का आधार (इनमे से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है) .....
.....

सत्यापन

मैं, ...(अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी..... एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....तिथि.....

अनुसंलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख–

1.....

2.....

यहाँ फाडे.....

पावती

संख्या.....तिथि.....

अनुसंलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन.....

स्थान.....तिथि.....

(अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर)

आदेश से (नगर पालिका परिषद्, रामपुर)

(अधिशासी अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर)

(नगर पालिका परिषद्, रामपुर)

परिशिष्ट–10

(खंड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज–

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है–

1– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916

2– उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3– बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4– सलाहकार नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5– उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6– एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश

7– आईएसः 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,

(क)– (भाग-I) डिजाइन शर्तें और निर्माण

(ख)– (भाग-II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8– सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9– बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।

10– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।

13– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14– तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15– सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16– सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

17– फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली

18– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
रामपुर।

नगर पंचायत खानपुर, बुलन्दशहर

29 मार्च, 2025 ई0

सं0 14/न0पं0 खानपुर/प्रकाशन–नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियो की सुविधाओ मे अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर मे वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298(1), 298(2) की सूची 1 के शीर्षक "क" (भवन) सपठित धारा 294 के अधीन निर्मित भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धित उपविधियो को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या 14 दिनांक 13 जून, 2024 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियो की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 02 मार्च 2025 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या-03 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 02 मार्च 2025 के पृष्ठ संख्या-03 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि मे जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियो की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्त स्थिति मे सम्यक विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत खानपुर द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या 05 दिनांक 29 मार्च, 2025 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियो की सुविधाओ मे अभिवृद्धि हेतु 'भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रण करने संबंधी उपविधियो का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद मे हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा 301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियॉ

1– (1) यह उपविधि नगर पंचायत खानपुर, जनपद बुलन्दशहर में "भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत खानपुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

(3) यह उपविधि 01 अप्रैल 2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2– **परिभाषायें**–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(1) ''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, अस्तबल, छादक (शेड) झोंपड़ी या अन्य बाड़ा या ढ़ाचे से है, चाहें वह पक्की ईंट लकड़ी मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया गया हो, और उसके अर्न्तगत् कोई बरामदा चबूतरा मकान की कुर्सी, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न ना हो की चारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अर्न्तगत् कोई तम्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।

(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(3) ''उपविधि'' का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है।

(4) ''नक्शा नवीस/मानचित्रकार''का अभिप्राय नगर पंचायत खानपुर के अनुज्ञा/लाईसैन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है।

(5) ''व्यवसायिक निर्माण'' से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो कि व्यापार, उद्योग आदि के कार्य के लिए निर्मित किया गया हो, जिनमें दुकानें, व्यापारिक गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि हैं।

(6) औधेागिक निर्माण, से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि किसी वस्तु, उपकरण, आदि के निर्माण एवं एसोम्बिल के लिए किया गया हो परन्तु इसमें हलवाई, रेस्टोरेन्ट आदि शामिल नही है।

(7) ''जनउपयोगी सेवा के निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण जो कि जनकल्याण हेतू किये जायें से है, जिसमें धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

(8) ''शासकीय सम्पत्ति'' से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत खानपुर की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन से है। परन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों की सम्पत्ति शामिल नही है।

(9) ''निवास गृह'' से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो से है।

(10) ''अधिसूचना'' से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(11) ''विहित अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।''

(12) ''नगर पंचायत का अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत **खानपुर** के चेयरपर्सन/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी से है।''

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3– विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये नक्शा/मानचित्र स्वीकृत करने के लिये शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

(1) आवासीय भवन दशा में– आवसीय भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतू प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

	रु0
(क) 50 वर्ग मीटर तक	2000/–
(ख) 50 से अधिक और 100 वर्गमीटर तक	4000/–
(ग) 100 से अधिक और 150 वर्गमीटर तक	6000/–
(ड) 150 से अधिक और 200 वर्गमीटर तक	8000/–
(च) 200 से अधिक और 300 वर्गमीटर तक	10000/–
(छ) 300 वर्गमीटर तक से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर या उसके भाग के लिये	1000/–

(2) व्यवसायिक भवन की दशा में-व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन) के मानचित्र की स्वीकृति हेतू प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

	रु0
(क) 20 वर्गमीटर तक	4000/–
(ख) 20 वर्गमीटर से अधिक और 50 वर्गमीटर तक	7000/–
(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्गमीटर या उसके भाग तक	1500/–

स्पष्टीकरण – संयुक्त आवासीय तथा व्यवसायिक भवन को व्यवसायिक भवन माना जायेगा।

(3) औद्योगिक भवन की दशा में– औद्योगिक भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतू प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

	रु0
(क) 150 वर्गमीटर के लिये	8000/–
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए	2000/–

(4) शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ उपयोग के भवन की दशा में–शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ उपयोग के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतू प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

	रु0
(क) 100 वर्गमीटर के लिये	2000/–
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए	500/–

(5) केवल किसी चाहरदीवारी की दशा में–प्रत्येक प्रकार की किसी भी चाहरदीवार (Boundary Wall) के मानचित्र की स्वीकृति हेतू शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

	रु0
(क) प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए	1000/–
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये	200/–

4– परन्तु अग्रेतर यह है, कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति निम्नवर्णित शतों के साथ दी जायेगी –

(1) भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिला भवन भूकम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किया जायेगा। (शासनादेश संख्या–1410/9–2–2001–7(12)/01 न0वि0अनु0–2, दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अनुसार),

(2) प्रत्येक प्रकार के भवन में एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) शौचालय होना आवश्यक है।

(3) 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड वाले भवन के लिये जल संचयिन (Water Harvesting) प्रणाली का होना अनिवार्य होगा,

(4) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, उनमें उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित करायेगा,

(5) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन (Fire Brigade) विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो उनके निर्माण की स्वीकृति से पूर्व अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा,

(6) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर अर्द्धव्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है, तो वह मान्य होगी,

(7) उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी ।

5— प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया—

(1) भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्धन/परिवर्तन आदि सम्बन्धित समस्त प्लान (मानचित्र) (तीन प्रतियों में) प्रार्थना—पत्र सहित अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके साथ स्वामित्व के कागजात एवं समस्त विशिष्टीयों का शपथ-पत्र (नोटेरी प्रमाणित) भी दिया जायेगा ।

(2) मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित सभासद व निर्माण लिपिक एवं सम्बन्धित लेखपाल (यदि आवश्यक हो) की आख्या प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् मानचित्र को अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष के द्वारा नगर पंचायत स्वास्थ्य अधिकारी और नगर पंचायत के अवर अभियन्ता के पास उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों पर जांच कर मत देने हेतु भेजा जायेंगा

(3) यदि किसी मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व के अभिलेख में कोई संशय अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को प्रतीत होता है तब उसके लिये नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय भी प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(4) नगर पंचायत के द्वारा प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति केवल तभी प्रदान की जायेगी—

(क) जब स्वास्थ्य अधिकारी और नगर पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा जाचोंपरान्त मत सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो,

(ख) भूमि के स्वत्व (title of land) की पुष्टि हो गई हो,

(ग) यदि मामले में नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई हो और राय प्रतिकूल ना हो,

(घ) नगर पंचायत को इस बात से समाधान हो गया हो कि प्रार्थी/स्वामी ने विहित विशिष्टियों के अनुसार भवन निर्माण किये जाने के लिये पर्याप्त गारण्टी दे दी है।

(4) मानचित्र स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिशासी अधिकारी की संस्तुती से नगर पंचायत चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन शर्तों के साथ पारित किया जायेगा कि यदि भवन स्वामी के द्वारा प्रचलित किसी भी नियम/उपनियम का उल्लघंन किया जाता है अथवा सम्बन्धित भूमि में सरकारी/नगर पंचायत की भूमि शामिल होती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। मानचित्र पर मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी एवं चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर होगें जिसकी एक प्रति नगर पंचायत कार्यालय में मूल आदेश के साथ सुरक्षित

रखी जायेगी तथा मानचित्र की दो प्रतियॉ एवं मानचित्र स्वीकृत करने का पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी किया जायेगा भवन स्वामी को दिया जायेगा ।

6– नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 50/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क बाहय विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी –

(1) कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौडी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सड़क की लम्बाई होती है तब सडक की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर चौडी होगी, तथा मुख्य सडक से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथा सम्भव सडकें समकोण पर मिलाई जायेगी.

(2) कॉलोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी,

(3) कॉलोनी की सड़के पक्की करने की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी को होगी,

(4) कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को करनी होगी,

(5) कॉलोनी में 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना होगा, यथासम्भव सड़के समकोण पर मिलाई जायेंगी,

(6) कॉलोनी में जलापूर्ति के लिये पाईप लाईन व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी ।

(7) कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही को कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलोनी नगर पंचायत प्रबन्धन में हो जायेगी तथा उसके पश्चात् कॉलोनी से गृहकर/जलकर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, तथा उसके पश्चात् कॉलेानी में सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी।

(8) अगर व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कॉलोनी के रख रखाव की जिम्मेदारी स्वयं करना चाहती है अथवा आर,डब्लू,ए, बनाकर करना चाहती है तब उसके लिये उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा और नगर पंचायत की कोई जिम्मेदारी कॉलोनी के अन्दर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने अथवा निर्माण कराने की नही होगी। परन्तु नगर पंचायत इस उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर को लगाने की अधिकारी होगी जिसकी दर इस सम्बन्ध में निर्मित उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर का आधा होगी।

(9) जहाँ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नहीं हैं, वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के प्रावधान लागू होगें ।

(10) कॉलोनी में आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड को क्रय करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी।

7— मानचित्र स्वीकृति की अवधि —

(1) मानचित्र उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार केवल एक वर्ष के लिये वैध होगा, तथा उस समयावधि के अर्न्तगत भू स्वामी को भवन का निर्माण प्रारम्भ करना होगा।

(2) यदि भवन स्वामी उपनियम 5(1) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो अवधि समाप्त की दिनांक से तीन माह तक रू0 100/— प्रतिमाह का शुल्क अदा करके मानचित्र को वैध करवाना होगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिये रू0 50/— शुल्क अदा करे मानचित्र को वैध करवाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 3 वर्षों तक के लिये किया जा सकता है इसके पश्चात् पुनः नये मानचित्र की प्रक्रिया अपनानी होगी तथा पूर्व में अदा शुल्क की कोई राशि नये मानचित्र में समायोजित नहीं की जा सकेगी, और ना ही वह राशि वापिस ही की जायेगी।

(3) निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर मानचित्र को पुनः वैध करवाये बिना निर्माण किया जाता है, तब वह निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।

(4) भवन स्वामी के द्वारा किये गये उक्त अपराध को समझौता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार शमन किया जा सकता है।

(5) कोई भी भवन निर्माण व्यवसायिक/आवासीय भवन की दशा में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 3 वर्षो में पूर्ण कराना आवश्यक होगा।

(6) कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कराने की दशा में कॉलोनी में मानचित्र के अनुसार निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 5 वर्षो में किया जाना आवश्यक होगा।

8— नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र का संशोधन —

(1) नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत किसी मानचित्र के संशोधन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित संशोधित मानचित्र के साथ मानचित्र स्वीकृति के लिये दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है,

(2) मानचित्र के संशोधन के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व केवल इस बाबत जॉच की जानी होगी कि वह संशोधन किसी उपविधि अथवा नियम के विरूद्ध तो नहीं करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पुनः किसी अन्य ऐसी जॉच अथवा आख्या की कोई आवश्यकता मानचित्र के संशोधन के लिये नहीं होगी जो कि पूर्व में ही मूल मानचित्र के लिये प्राप्त की जा चुकी हो,

(3) मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा ।

9— मानचित्र स्वीकृति के लिये विभिन्न नियम—

(1) उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 212-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी तक नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेंगी,

(2) उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है, अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा,

(3) नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत के द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नक्शानवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा,

(4) आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निर्माण में कुल 20 प्रतिशत क्षेत्रफल आगे व पीछे की तरफ खाली छोड़ना अनिवार्य होगा,

(5) व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी,

(6) मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत अथवा अन्य किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार में पाया जाता है, तब मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, और उस मानचित्र के आधार पर कोई अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे ।

10– **मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना निर्माण करने की दशा में प्रक्रिया–**

(1) अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा,

(2) परन्तु यदि ऐसा निर्माण अगर नियमों के अनुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाईसेन्सधारी मानचित्रकार/नक्शानवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को आवासी भवन के लिये समझौता शुल्क 3000 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क 5,000/–रू. होगा, लेकिन किसी धार्मिक स्थल, धर्मशाला आदि निर्माणों के लिये समझौता शुल्क नगरपंचायत की टैक्स कमैटी अपने विवेक के अनुसार निर्धारित करेगी ।

(3) यदि ऐसा कोई निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित नहीं है, तब ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, और ना ही ऐसे किसी मामले में समझौता ही किया जा सकेगा, तथा ऐसे निर्माण को नगर पंचायत भवन से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी अथवा नगर पंचायत के द्वारा स्वंय हटवाया जा सकेगा, तथा ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिये जो व्यय होगा उसे भी भवन स्वामी से ही वसूल किया जा सकेगा और नगर पालिका अधिनियम के अर्न्तगत् दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत् चालानी कार्यवाही भी ऐसे भवन स्वामी के विरूद्ध की जा सकेगी ।

11. यदि 200 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भूखण्ड वाले भवन के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि मानचित्र जल संचयिन (water harvesting) प्रणाली लगाने का प्रावधान मानचित्र में होता है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यदि भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण में यदि मानचित्र के अनुसार जल संचयिन (water harvesting) प्रणाली भवन में लगी नही पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क के 5 गुने के बराबर धनराशि भवन स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

12. यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।

13– उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

इमरान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, खानपुर,
बुलन्दशहर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पर्व खरे पुत्र श्री संदीप खरे, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार उसका नाम पर्व खरे से बदल कर शौर्य खरे रख दिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को शौर्य खरे पुत्र संदीप खरे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संदीप खरे,
पता–16/4 ऐशबाग पीली कालोनी,
चाचा नेहरू पार्क के पास,
जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का शुद्ध नाम नीलम राय है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल प्रमाण पत्र सह–अंकपत्र (अनुक्रमांक 5296262/2014) में मेरी माताजी का नाम अनिता राय अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अभिषेक राय,
पुत्र स्व0 उमेश राय,
पता–3/1097, रामपुर, सुल्तानपुर,
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अग्रिमा श्रीवास्तव पुत्री गुंजन शंकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7107 7563 5711 में उसका नाम अरूणिमा श्रीवास्तव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अग्रिमा श्रीवास्तव पुत्री गुंजन शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गुंजन शंकर,
पता–1419, मुराई टोला, हैदरगंज,
फैजाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हर्षिता सिंह पुत्री नन्दलाल सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5192 4546 5325 में उसका नाम शिवानी सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम हर्षिता सिंह पुत्री नन्दलाल सिंह के नाम से जाना व हपचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नन्दलाल सिंह पुत्र मिठाई लाल,
निवासी–ग्राम–झंझरा पाण्डेय पोस्ट–नारीबारी,
तहसील–बारा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम सोनाक्षी सिंह पुत्री भैया लाल सिंह है जो कि मेरे पुत्री के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–2358 0278 5873 में मेरे पुत्री का नाम सोनम अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्री का उसके सही नाम

सोनाक्षी सिंह पुत्री भैया लाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भैया लाल सिंह, पुत्र एच0आर0 सिंह,
निवासी–सी0–7 पुलिस कॉलोनी,
थाना हरवंश मोहल कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता व माता का सही नाम क्रमशः MOHAMMED YASIN ANSARI व SHAHINA KHATOON है। जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक पत्र व प्रमाण पत्र अनुक्रमांक–5052474/2017 में माता–पिता का नाम क्रमशः SAHEENA PARVEEN व पिता का नाम YASEEN ANSARI हो गया है, जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

MD. MAHFOOZ ANSARI,
S/o MOHAMMED YASIN ANSARI,
अबुबकर नगर देवरिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी विश्वकर्मा पुत्री मनोज कुमार विश्वकर्मा जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–6594 5699 2737 में उसका नाम (Sachhi Vishwakrma) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम (Sakshi Vishwakarma) पुत्री मनोज कुमार विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनोज कुमार विश्वकर्मा,
पुत्र चन्द्रशेखर विश्वकर्मा,
निवासी– ग्राम जिया राम का पुरा,
बारा खास तहसील बारा जिला प्रयागराज ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आराध्य सिंह पुत्र सुरेश चन्द्र सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4021 3039 3559 में उसका नाम आराध्य अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आराध्य सिंह पुत्र सुरेश चन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

किरन सिंह,
पत्नी सुरेश चन्द्र सिंह,
ग्राम व पोस्ट जगदीशपुर,
तहसील सदर, जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ऑचल पुत्री जगदीश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6307 4513 2918 में उसका नाम अचल (ACHAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ऑचल पुत्री जगदीश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जगदीश, पता– बरैनी (बैस का पुरा),
कछवां, जनपद–मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आनाया पाण्डेय पुत्री सौरभ पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4842 3483 1588 में मेरा नाम रिद्रवी पाण्डेय अंकित हो गया था, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आनाया पाण्डेय पुत्री सौरभ पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आनाया पाण्डेय, पुत्री सौरभ पाण्डेय,
128/365 वाई ब्लाक किदवई नगर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मारूति नन्दन पुत्र प्रकाश चन्द्र चौरसिया है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–9779 7071 6658 में उसका नाम मारूति दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मारूति नन्दन पुत्र प्रकाश चन्द्र चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रकाश चन्द्र चौरसिया,
नि0–मुडियाडीह अधवार,
जिला सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र का सही नाम पीयुष पुत्र प्रेम सागर है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8261 4944 6029 में उसका नाम शिवम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पीयूष पुत्र प्रेम सागर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रेम सागर, पुत्र–खुशीराम,
ग्राम–महसिंहपुर पो0–सरैंया सानी,
जिला सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेदान्त सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6943 0915 0322 में उसका नाम विकल्प सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेदान्त सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार सिंह,
544/605, चाणक्यपुरी, एकता नगर,
बालागंज, चौक लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विरांश माही पुत्र विजय प्रकाश है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के

आधार कार्ड सं0–4545 0977 2468 में उसका नाम शौर्य प्रताप सागर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विरांश माही से जाना व पहचाना जायेगा।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय प्रकाश, पुत्र कुवंर राम,
ग्राम सेन्दुराईच, पोस्ट भलाबॉध,
तहसील मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम बेबी यादव पुत्री चुल्ली यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का घरेलू नाम बन्दना देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रणधीर यादव,
ग्राम सिकरिया बरेवा, पो0 भीमपुरा नं0 1,
तहसील बेल्थरा रोड, जिला बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शाहिल सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4428 1442 9882 में उसका नाम प्रवीण सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शाहिल सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वीर बहादुर सिंह,
पुत्र रामभवन सिंह,
निवासी– लाला का पुरा धरमपुर,
देकवा उपहार कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक गुप्ता पुत्र आनन्द कुमार गुप्ता है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9491 5692 9693 में उसका नाम डियम गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक गुप्ता पुत्र आनन्द कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आनन्द कुमार गुप्ता,
पुत्र स्व0 घनश्याम गुप्ता,
पता– 109/208, खलीफा मण्डी,
नकास कोना, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्नव गुप्ता (ARANAV GUPTA) पुत्र विनोद कुमार गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8993 6016 2464 में उसका नाम लकी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्नव गुप्ता (ARANAV GUPTA) पुत्र विनोद कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार गुप्ता, पुत्र मंगरू साव,
पता–बाजार कालिका बारा,
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रखर पाल पुत्र रमेश कुमार पाल है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6457 0355 3360 में उसका नाम आयान पाल (Ayan Pal) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम प्रखर पाल (Prakhar Pal) पुत्र रमेश कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रमेश कुमार पाल, पुत्र हरिनाथ पाल,
ग्राम– राजूपुर पोस्ट हेतापुर,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयूष शुक्ला पुत्र श्री विपिन कुमार शुक्ला है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7474 4450 6145 में उसका नाम श्लोक शुक्ला हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष शुक्ला पुत्र विपिन कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विपिन कुमार शुक्ला,
पता– बरहुला कला पोस्ट अयोध्या कोरांव,
कोरांव प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रूद्रांश गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2502 2931 2572 में उसका नाम रूद्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रूद्रांश गुप्ता पुत्र सन्तोष कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सन्तोष कुमार गुप्ता,
ग्राम ईश्वरपुरा गोठहुली पो0 जिराबस्ती,
जिला व तहसील बलिया उ0प्र0।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is Sanket Kumar Rai son of Ramendra Kumar Roy. Which is mentioned in his Educational Records, Aadhar Card. Due to poor health of my son, I have changed his name from Sanket Kumar Rai to Naitik Kumar Roy as per my Jyotishcharya. In future, my son should be known and identified as Naitik Kumar Roy son of Ramendra Kumar Roy.

Ramendra Kumar Roy,
Sector - 16/1047 INDIRA NAGAR,
LUCKNOW.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुरेन्द्र बहादुर सिंह (SURENDRA BAHADUR SINGH) पुत्र शत्रोहन सिंह (SHATROHAN SINGH) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3859 2945 4352 में मेरा नाम सुरेन्द बहादुर सिंह (SUREND BAHADUR SINGH) पुत्र सत्रुहन सिंह (SATRUHAN SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुरेन्द्र बहादुर सिंह (SURENDRA BAHADUR SINGH) पुत्र स्व0 शत्रोहन सिंह (SHATROHAN SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेन्द्र बहादुर सिंह, पुत्र स्व0 शत्रोहन सिंह,
पता–मकान नं0 248/20 विकास नगर,
थाना कोतवाली पो0 त0 सदर,
जिला रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चन्दा सिंह पत्नी हौसिला सिंह है। जो मेरे निर्वाचन कार्ड व बैंक पास बुक व राशन कार्ड तथा उपजिला मजिस्ट्रेट की जॉच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7872 1522 1578 में मेरा नाम चन्ददेवी सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चन्दा सिंह पत्नी हौसिला सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

चन्दा सिंह पत्नी हौसिला सिंह,
पता–ग्राम गम्भीरसिंहपुर
पो0 व थाना औराई, जनपद भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनूप यादव (Anoop Yadav) पुत्र ग्या प्रसाद है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे आधार कार्ड सं0–5559 7229 2162 में मेरा नाम अनूप यादव (Anup Yadav) त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनूप यादव (Anoop Yadav) पुत्र ग्या प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनूप यादव, (Anoop Yadav)
पुत्र ग्या प्रसाद,
पता–110,छिपैटी इटावा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रिशू यादव पुत्र प्रदीप कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4500 2685 5451 में उसका नाम अभिराज सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रिशू यादव पुत्र प्रदीप कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रदीप कुमार यादव, पुत्र स्व0 विश्वनाथ,
निवासी–ग्राम जहानगंज, जहानगंज,
तहसील–सदर फर्रूखाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम साहिल सिंह पुत्र उपेन्द्र सिंह तथा मेरी माता

का सही नाम संगीता सिंह है जो मेरे इण्टरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र कें अनुक्रमांक–23719993 में तथा मेरे आधार कार्ड और मेरी माता का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक–23157065 में मेरा नाम साहिल कुमार सिंह व मेरी माता गीता सिंह हो गया है जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

साहिल सिंह, पुत्र उपेन्द्र सिंह,
पता–ग्राम रामचरनपुर खैरा पो0 भीमापार,
जिला गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरवी शुक्ला पुत्री सुनील कुमार शुक्ला है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7779 0356 9328 में उसका नाम श्रेया शुक्ला अंकित हो गया है। जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरवी शुक्ला पुत्री सुनील कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार शुक्ला, सुत नागेन्द्र प्रसाद शुक्ला,
निवासी– ग्राम–बिन्दा शुक्ल का पुरवा,
मजरे ढिंगौसी पो0 व परगना–ढिंगवस,
थाना–लालगंज, तहसील–लालगंज,
जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स कृष्णा एन्टरप्राईजेज, ई-123, सैक्टर-7, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर-201301 की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 19 मई, 2003 के अनुसार फर्म में श्री योगेश कुमार एवं श्री सतेन्द्र कुमार साझीदार थे। दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 को श्री योगेश कुमार फर्म की साझीदारी से स्वेच्छा से अपना हिसाब किताब ले–देकर अलग हो गये है। दिनांकः 10 अक्टूबर, 2025 के अनुसार फर्म के प्रोपराईटर श्री सतेन्द्र कुमार होगें।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सतेन्द्र कुमार,
प्रोपराईटर,
मेसर्स कृष्णा एन्टरप्राईजेज, ई-123,
सैक्टर-7, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स श्याम सुन्दर इन्टरप्राईजेज, एच-82, सैक्टर-9, नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर-201301 की साझीदारी में श्रीमती विद्या गर्ग, श्रीमती कीर्ति गर्ग, श्रीमती पारूल गर्ग एवं श्रीमती अनु गर्ग साझीदार थे। दिनांकः 06 नवम्बर, 2025 को श्री अतुल गुप्ता फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा श्रीमती विद्या गर्ग, श्रीमती पारूल गर्ग एवं श्रीमती अनु गर्ग फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब–किताब ले-देकर अलग-अलग हो गई है। दिनांक 06 नवम्बर 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्रीमती कीर्ति गर्ग एवं श्री अतुल गुप्ता साझीदार है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कीर्ति गर्ग,
साझीदार,
मेसर्स श्याम सुन्दर इन्टरप्राईजेज,
एच-82, सैक्टर-9, नोएडा,
जिला-गौतमबुद्ध नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स बाबा गैस सर्विस, खसरा नं0-282, ग्राम तालाबपुर उर्फ हाथीपुर, तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर-203207 की साझीदारी में श्री विजय सिंह एवं श्रीमती रीता साझीदार थे। दिनांकः 01 नवम्बर, 2025 की विघटित साझीदारीनामा के अनुसार दोनों साझीदारों श्री विजय सिंह एवं श्रीमती रीता की आपसी सहमति से फर्म की साझीदारी को विघटित कर दिया गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता नही है। यदि पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी हम साझीदारों की संयुक्त रूप से होगी।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक पाचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विजय सिंह,
सझीदार,
मेसर्स बाबा गैस सर्विस, खसरा नं0-282,
ग्राम तालाबपुर उर्फ हाथीपुर, तहसील दादरी,
जिला-गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एम्बेस्टन पैकेजिंगस पता– सी 89 बी. एस.आर. रोड जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध मे आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनर शिप 13 नवम्बर, 2018 को हुई थी। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 08 जून, 2021 के अनुसार फर्म मे क्रमश तीन साझीदार थे। 1. श्री प्रान्शुल मित्तल पुत्र श्री प्रदीप कुमार मित्तल 2. श्री रोहित सिसोदिया पुत्र श्री अशोक सिसोदिया 3. श्री हर्षित गर्ग पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के अनुसार फर्म में नई साझीदार नं0–4 श्रीमती शिवानी मित्तल पुत्री श्री नीरज कुमार अग्रवाल साझीदारो की आपसी सहमती से फर्म मे नई साझीदार सम्मलित की गई है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के अनुसार अब इस फर्म मे चार साझीदार हो गये है। 1. श्री प्रान्शुल मित्तल पुत्र श्री प्रदीप कुमार मित्तल 2. श्री रोहित सिसोदिया पुत्र श्री अशोक सिसोदिया 3. श्री हर्षित गर्ग पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग 4. श्रीमती शिवानी मित्तल पुत्री श्री नीरज कुमार अग्रवाल हो गई है।

प्रान्शुल मित्तल,
साझेदार,
मेसर्स एम्बेस्टन पैकेजिंगस,
पता–सी 89 बी. एस.आर. रोड,
जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम काश्वी वर्मा (Kashvi Verma) पुत्री राजेश वर्मा है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–6903 4801 9152 में उसका नाम बेबी ऑफ प्रीति वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम काश्वी वर्मा (Kashvi Verma) पुत्री राजेश वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रीति वर्मा पत्नी राजेश वर्मा,
पता– 246/59 कायस्थ लेन टाट पट्टी,
यहियागंज, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चिन्तामणि देवी (CHINTAMANI DEVI) पत्नी स्व0 उमाशंकर पाण्डेय है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेख व निर्वाचन कार्ड व परिवार रजिस्टर एवं उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है।

त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–2441 2510 5077 में मेरा नाम चिंता (CHINTA) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम–चिन्तामणि देवी पत्नी स्व0 उमाशंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चिन्तामणि देवी,
पत्नी स्व0 उमाशंकर पाण्डेय,
निवासी गोसड़ी पोस्ट–नन्दांव,
आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S Jain Handloom Suits, 341, Tal Mohalla Sadar Bazar, Jhansi. वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1.Atishay Jain 2.Prince Jain

जिसमें दिनांक 01 नवम्बर, 2025 को Prince Jain अपनी स्वेच्छा से प्रथक् हो रहे है एवं उनके स्थान पर Smt. Seema Jain शामिल हो रही है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

Atishay Jain
साझेदार
M/S Jain Handloom Suits,
341, Tal Mohalla Sadar Bazar,
Jhansi, (U.P.)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृष्ण कुमार (KRISHNA KUMAR) पुत्र जगदीश नारायण (JAGDISH NARAYAN) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4863 1047 6927 में मेरा नाम कृष्ण कुमार (KRISHN KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृष्ण कुमार (KRISHNA KUMAR) पुत्र जगदीश नारायण (JAGDISH NARAYAN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कृष्ण कुमार (KRISHNA KUMAR),
नि0 ग्राम–कुकुढ़ा, पोस्ट–बीरापुर,
तहसील–हण्डिया, जनपद,–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हृदेश श्रीवास्तव (HRIDESH SRIVASTAVA) पुत्र कुँवर रवि प्रकाश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9390 2208 6117 में उसका नाम निकुंज श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हृदेश श्रीवास्तव (HRIDESH SRIVASTAVA) पुत्र कुँवर रवि प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुँवर रवि प्रकाश,
पुत्र स्व0 राम प्रताप श्रीवास्तव,
पता– 551च/137क, नई सरदारी खेड़ा,
आलमबाग, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विजय कुमार (VIJAI KUMAR) पुत्र चन्द्र

प्रकाश श्रीवास्तव (CHANDRA PRAKASH SRIVASTAVA) है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे RELIANCE INDUS-TRIES LIMITED, FOLIO No-107569327 और 107569335 के शेयर में विजय कुमार श्रीवास्तव (VIJAI KUMAR SRIVASTAVA) पुत्र चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव अंकित हो गया है उपरोक्त दोनो नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विजय कुमार (VIJAI KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विजय कुमार,
अल्लापुर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ज्योति श्रीवास्तव (JYOTI SRIVASTAVA) पुत्री हरि मोहन श्रीवास्तव (HARI MOHAN SRIVASTAVA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे LARSEN & TURBO LIMITED, FOLIO No-09040234 और RELIANCE INDUSTRIES LIMITED FOLIO No-34334277 के शेयर में श्रीमती ज्योति (MRS JYOTI) पुत्री हरि मोहन श्रीवास्तव अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनो नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ज्योति श्रीवास्तव (JYOTI SRIVASTAVA) के नाम सें जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ज्योति श्रीवास्तव,
अल्लापुर प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० जनरल ट्रेडर्स, ए–10 इण्डस्ट्रियल स्टेट, आगरा रोड, फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं –

यह कि उक्त फर्म में दिनांक 01 नवम्बर, 2025 से श्री रिषी असीजा पुत्र श्री मनीष असीजा निवासी–दयानन्द मार्ग आर्य नगर, फिरोजाबाद को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री विवेक अग्रवाल, श्री नितिन बंसल, श्री शुभांकर असीजा, श्री अनुराग मित्तल, श्री कुनाल मित्तल, श्रीमती ऊषा गोयल, श्री नमन बंसल, श्री श्रेय बंसल, श्री उत्कर्ष बंसल तथा तथा ऋषि असीजा साझेदार है।

विवेक अग्रवाल
साझेदार,
ट्रेडर्स, ए–10 इण्डस्ट्रियल स्टेट,
आगरा रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० ए के एस वैन्चर्स, 78 आनन्द धाम राधिका विहार, फेस–2 मथुरा–281001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह कि उक्त फर्म में दिनांक–16 सितम्बर,2024 से श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा निवासी–216 बी फेस 2 नरसी विहार सिटी, सोंख रोड, मथुरा तथा श्री वीकेश पुत्र श्री लोटन सिंह निवासी–ग्राम रौसिंगा पोस्ट मदैम नौरंगा मदैम मॉट मथुरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक को ही फर्म के साझेदार श्री अभिषेक गौतम पुत्र श्री गिरीश कुमार गौतम निवासी–सुनरख रमनरेती, सुनरख बांगर, वृन्दावन, मथुरा एवं श्री अंकुर कुमार गौतम पुत्र श्री गिरीश कुमार गौतम निवासी–110 सुनरख वृन्दावन, सुनरख बांगर, मथुरा उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये है। तथा दिनांक–30 अक्टूबर, 2025 से श्री कमल किशोर पुत्र श्री जन्दल सिंह निवासी–39/84–63 मालगोदाम रोड गोपाल नगर, मथुरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है,

उक्त दिनांक को ही फर्म के साझेदार श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी–उपरोक्त उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री वीकेश तथा श्री कमल किशोर साझेदार है।

वीकेश,
साझेदार,
मे0 ए के एस वैन्चर्स, 78 आनन्द धाम,
राधिका विहार, फेस–2 मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नुसरत फातिमा (Nusrat Fatima) पुत्री मो0 हुसैन सिद्दीकी है जो कि मेरे हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6558 0402 2047 में मेरा नाम सुस्रत फातमा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नुसरत फातिमा (Nusrat Fatima) पुत्री मो0 हुसैन सिद्दीकी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नुसरत फातिमा पुत्री मो0 हुसैन सिद्दीकी,
निवासिनी चक मिसरन,
करछना, प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि M/s S R S DEVELOPERS 7/92 TILAK NAGAR KANPUR NAGAR के पार्टनर 1. Ashish Sewani S/o Sri Harikishan Sewani R/o 122/454 Shastri Nagar Kanpur Nagar एवं 2. Smt. Preeti Sewani W/o Ashish Sewani S/o Sri Harikishan Sewani R/o 122/454 Shastri Nagar Kanpur Nagar ने अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म से त्यागपत्र दे दिया है। दो साझेदार Hanish Ramchandani एवं Smt. Nandani Ramchandani शेष साझीदार है।

दिनांक 01 फरवरी, 2011 से फर्म की साझीदारों की स्थिति निम्नवत होगी :–

1. Mr. Hanish Ramchandani S/o Shri Vasdev Ramchandani R/o 7/92 Tilak Nagar Kanpur.

2. Smt. Nandani Ramchandani W/o Hanish Ramchandani R/o 7/92 Tilak Nagar Kanpur.

Hanish Ramchandani,
साझीदार
S R S DEVELOPERS,
7/92 TILAK NAGAR,
KANPUR.

सूचना

सूचित किया जाता है कि M/s A K ASSOCIATES Tirwa Road, Gursahaiganj, Distt, Kannauj, Uttar Pradesh. 209722 के पार्टनर 1. Ratnesh S/o Shri Sher Singh R/o Satanpur Nagla,-Farrukhabad Distt-Farrukhabad ने त्यागपत्र दे दिया है। दिनांक 13 अगस्त, 2025 से फर्म में दो पार्टनर (1) Manoj Singh Yadav और (2) Kaushalendra शामिल हो गये है। वर्तमान में फर्म में चार साझीदार Smt. Munni Devi, Rahul Ratan, Manoj Singh Yadav एवं Kaushalendra शामिल है।

दिनांक 13 अगस्त, 2025 से फर्म की साझीदारों की स्थिति निम्नवत होगी :–

1. Smt. Munni Devi W/o Shri Ashok Kumar Gupta R/o Ashok Nagar, Gursahaiganj, Distt, Kannauj.

2. Shri Rahul Ratan S/o Shri Rajesh Prakash Pandey R/o 18, Near Tixi Mandi khatrana Tola, Etawah Distt, Etawah.

3. Shri Manoj Singh Yadav S/o Sher Singh Yadav R/o Satanpur Nagala Po. Bhopat Patti Kaimganj Farrukhabad.

4. Shri Kaushalendra S/o Sher Singh Yadav R/o Satanpur Nagala Kaimganj Farrukhabad.

मुन्नी देवी,
साझीदार।

NOTICE

Be it known to all that in my P.P.F. Account, Indian Bank, Civil Lines Branch, Prayagraj, My name is mentioned as P.D. Chauhan, In my Savings Account, Indian Bank, Civil Lines Branch, Prayagraj my name is mentioned as Prafull Chauhan. In my Conveyance Deed of Property my name is mentioned as Prafulla Chauhan. In my SSC Certificate my name is mentioned as Prafull Kumari Rajendra Sinh Kushwaha. In my Bachelors of Arts Certificate my name is mentioned as Prafull Kumari R. Kushwaha. In my Passport (old) my name is mentioned as prafull Kumari Devendra Pal Singh Chauhan, In Pension Payment Order of my Husband my name is mentioned as Smt. Prafull D. Chouhan. In my Savings Bank Account with my husband at Indian Bank, Civil Lines Branch, Prayagraj my name is mentioned as Prafulla Devendra Pal Singh Chauhan. In my Passport (new) my name is mentioned as Prafull Kumari Devandra Pal Singh Chauhan, In my Sr. Citizen Savings Scheme-S.B.I., P.B.B. Branch, Prayagraj & House Tax Receipt my name is mentioned as Prafulla Chauhan. All the aforesaid names belongs to me.

I should be known according to my Aadhar and PAN as Praphulla Chauhan, W/o Devendra Pal Singh Chauhan.

Praphulla Chauhan,
W/o Devendra Pal Singh Chauhan,
262/191, Allenganj,
Allahabad, Uttar Pradesh.

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 महाजन फाइनेन्सर्स, 14/119, गॉधी नगर, निकट वार्ष्णेय विद्यालय, जी0टी0 रोड़, अलीगढ़ के विद्यान व भागीदारों में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

1– यह कि उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को पूर्व भागीदार श्रीमती मोनिसा गुप्ता उम्र–46 वर्ष (5), श्री अशेष कुमार गुप्ता उम्र–45 वर्ष (8), श्रीमती भावना गुप्ता उम्र–45 वर्ष (9), श्री विवेक कुमार उम्र–47 वर्ष (10), पुत्र/पुत्रीगण स्व0 श्री रामेश्वर दयाल निवासीगण – 2/267, विद्या मार्ग, विष्णुपुरी, अलीगढ़ अपनी स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी से अलग हो गये है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से श्रीमती मधु गुप्ता उम्र–51 वर्ष पत्नी श्री विजय कुमार गुप्ता, निवासी– विष्णुपुरी, कोल, अलीगढ़ तथा श्रीमती रीता गुप्ता पत्नी श्री निखिल कुमार उम्र–43 वर्ष निवासी– 207, सांई वाटिका, ज्ञान सरोवर, कोल, अलीगढ़ को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री विजय कुमार श्री मानव महाजन, श्री विशाल महाजन, श्रीमती बीना गुप्ता, श्री निखिल कुमार श्रीमती मधू गुप्ता एवं श्रीमती रीता गुप्ता भागीदार हो गये है।

राजेन्द्र कुमार गुप्ता,
भागीदार,
मे0 महाजन फाइनेन्सर्स, 14/119,
गॉधी नगर, निकट वार्ष्णेय विद्यालय,
जी0टी0 रोड़, अलीगढ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S Kishan Lal Pawan Kumar Jain 46/78 Rajgaddi Hatia Kanpur Nagar में दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को Mr. Pawan Kumar Jain S/o Late Kishan Lal Jain R/o 7/194 Swaroop Nagar Kanpur उपरोक्त फर्म की साझीदारी में एक प्रतिशत (1% Share) के साथ शामिल हो गये है।

पार्टनरशिप डीड दिनांक 12 सितम्बर, 2025 में निम्न पॉच साझीदार हैः–

1. Mr. Pawan Kumar Jain S/o Late Kishan Lal Jain R/o 7/194 Swaroop Nagar Kanpur.

2. Mr. Ajay Kumar Jain S/o Mr. Pawan Kumar Jain R/o 7/194 Swaroop Nagar Kanpur.

3. Mr. Alok Kumar Jain S/o Mr. Pawan Kumar Jain R/o 7/194 Swaroop Nagar Kanpur.

4. Mr. Arun Kumar Jain S/o Mr. Pawan Kumar Jain R/o 7/194 Swaroop Nagar Kanpur.

5. Mr. Apurv Jain S/o Mr. Alok Kumar Jain R/o 7/194 Swaroop Nagar Kanpur.

Ajay Kumar Jain,
सझीदार,
M/S Kishan Lal, Pawan Kumar Jain,
46/78 Rajgaddi Hatia, Kanpur Nagar.

पी0एस0यू0पी0—33 हिन्दी गजट—भाग 8—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।